झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्र सं०–08 / ज०सं०(नि०) ग्रा०– 10 / 2013 ..... / राँची, दिनांक : .....

आदेश

श्री देवदर्शन सिंह, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता के विरूद्ध प्रपत्र 'क' में गठित निम्नलिखित आरोप को ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड के पत्रांक– 998 दिनांक– 19.02.2013 द्वारा प्रेषित करते हुए अनुशासनिक कार्रवाई करने हेतु जल संसाधन विभाग को भेजा गया।

"हजारीबाग जिलान्तर्गत नवनिर्मित सिविल सर्जन कार्यालय भवन के निरीक्षण प्रतिवेदन में अधिकांश दीवार क्षतिग्रस्त तथा क्रेक पाया गया है, जो प्रथम दृष्टया श्री पप्पु कुमार, तत्कालीन सहायक अभियंता, ग्रामीण विकास विशेष प्रमण्डल, हजारीबाग की लापरवाही, घटिया सामग्रियों का उपयोग एवं Mis-use of Public Money को दर्शाता है।

निरीक्षण प्रतिवेदन में यह स्पष्ट अंकित किया गया है कि "भवन दो तल्ले का Frame Structure Type का है। भवन के आधे भाग दक्षिण तरफ में भू–तल एवं प्रथम तल पर बने कमरो के दिवारों में Crack है। Column, Beam के साथ ईट की चिनाई Joint पर भी Crack हो गये है। Parapet wall, outer wall के साथ बनाये गये Duct wall में भी कई जगहों पर Crack हो गये है। प्रथम तल पर Hall के छत का पलास्टर भी गिर गया है। छत पर जल जमाव भी देखा गया। इसमें जल निकासी के लिए Rain water pipe भी नहीं लगाया गया है। Portico पर भी जल जमाव देखा गया।"

सभी Crack Develop करने का मुख्य कारण Foundation का Settlement प्रतीत होता है। अर्थात् Foundation का Casting, soil bearing capacity जहाँ पर Achieve करता है, उसके अनुसार नहीं कराया जाना प्रतीत होता है।"

2. उपर्युक्त आरोप की जाँच हेतु विभागीय संकल्प ज्ञापांक– 584 दिनांक– 06.05.2014 द्वारा श्री देवदर्शन सिंह के विरूद्ध झारखण्ड पेंशन नियमावली के नियम–43बी० के अन्तर्गत विभागीय कार्यवाही संचालित की गई।

3. विभागीय कार्यवाही से संबंधित जाँच प्रतिवेदन जाँच पदाधिकारी के पत्रांक– 530 दिनांक– 22.12.2016 द्वारा समर्पित किया गया। जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा विभागीय स्तर पर की गई एवं पाया गया कि श्री सिंह द्वारा उक्त योजना में जो विपत्र बनाया गया था, उसमें Supply, Fitting, Plaster External surface, plinth, protection कार्य, Gradetiles, चौखट, Grill, flush, Door shutter, Distemper paint का कार्य पाँचवे बिल में शामिल था। कार्य विभागीय रूप से कराया जा रहा था।

अतः प्लास्टर के अन्दर में क्रैक होने पर क्रैक दूर करना श्री सिंह की जवाबदेही थी। अतएव त्रुटिपूर्ण निर्माण में एवं बरती गई अनियमितता के लिए श्री देवदर्शन सिंह जिम्मेवार हैं। अतएव संचालन पदाधिकारी के मंतव्य से असहमत होते हुए प्रमाणित आरोप के लिए निम्नलिखित दण्ड प्रस्ताव के साथ श्री सिंह से विभागीय पत्रांक– 3425 दिनांक– 27.07.2017 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा की गई :–

(i) पेंशन राशि से दस प्रतिशत (10%) की कटौती पाँच वर्षों के लिए।

P.T.O

5. श्री सिंह से प्राप्त द्वितीय कारण पृच्छा के जवाब की समीक्षा विभागीय स्तर पर की गई एवं सम्यक् समीक्षोपरान्त पाया गया कि बचाव में श्री देवदर्शन सिंह द्वारा कोई नया तथ्य अथवा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है।

6. अतः संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन एवं द्वितीय कारण पृच्छा के जवाब के सम्यक् समीक्षोपरान्त प्रमाणित आरोप के लिए श्री देवदर्शन, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता के विरूद्ध निम्नलिखित दण्ड संसूचित करने निर्णय लिया जाता है :–

(i) पेंशन से दस प्रतिशत (10%) की कटौती पाँच वर्षों के लिए।

7. उक्त निर्णय पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/–
(रमेश कुमार दूबे)
सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक : .....राँची/दिनांक .....

प्रतिलिपि :– महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/ महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
(रमेश कुमार दूबे)
सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक : .....राँची/दिनांक .....

प्रतिलिपि :– सरकार के विशेष सचिव, ग्रामीण विकास विभाग के पत्रांक– 998 दिनांक– 19.02.2013 के क्रम में/ मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, हजारीबाग, जल संसाधन विभाग/ श्री देवदर्शन सिंह, सेवानिवृत कार्यपालक अभियंता, बलदेव भवन के पीछे शंकरपथ, पुनाईचक्क (भवन निर्माण भवन) शास्त्रीनगर, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
(रमेश कुमार दूबे)
सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक : 1033 राँची/दिनांक 13/02/19

प्रतिलिपि :– उप सचिव, (प्र०), जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

1033
13/02/19
(रमेश कुमार दूबे)
सरकार के विशेष सचिव